भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

चण्डीगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

सं. 37968./नि. वि/4053/आर-4—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 79 की उप धारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम,1994 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV कर्मचारी(भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाए।

   (2) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1994 में विनियम 11 में अंत में आने वाले शब्दों "पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई" को "इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आर. एस. जालटा

विशेष सचिव

टिप्पणी:—

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम,1994 भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 में दिनांक 24 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 17612/नि.वि/25/86/आर-4 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।